भूमि सुधार उप- समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा।
केस का प्रकार :- श्री विनोद साह बनाम श्री लाल चन्द्र सहनी
वाद सं० 311/13-14

- 8135
30/1/14

16.1.14	उभयपक्ष को हाजरी है पुनः तिथि 18.1.14 को रखें। ह० अ० 34/14
18.1.14	उभयपक्ष की हाजरी है पुनः तिथि 20.1.14 को रखें। ह० अ० 34
20.1.14	उभयपक्ष की हाजरी है पुनः तिथि 22.1.14 को रखें ह० अ० 34.14
22.1.14	उभयपक्ष की हाजरी है उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि प्रसंगत भूमि का सीमांकन करवा दिया जाय तो दोनों व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रसंगत भूमि का सीमांकन हेतु आदेश अंचल अधिकारी, हनुमाननगर को दी जाती है। अंचल अधिकारी हनुमान नगर को वाद-पत्र की प्रति उस आदेश के साथ संलग्न कर भेजें। वादी को आदेश दिया जाता है कि वे अंचल नजारत में अमानत शुल्क जमा कर पावती रसीद अंचल अधिकारी को आदेश के साथ देंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित। ह० 22/01/14 प्र० ह० 390 सं० ह० 22/01/14 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।